

न्यायालय राजस्व मंडल म0प्र0 गवालियर वेन्च रीवा  
संभाग रीवा (म0प्र0)

(65)

श्री अमरोदा प्रभाई कृष्ण  
दास आज दि २५-८-१५ को  
प्रस्तुत  
राजस्व मंडल म0प्र0 गवालियर



R 2722-II/15

- 1—गजाधर सिंह पिता सुखदेव उम्र—75 वर्ष
- 2—अनिल कुमार सिंह पिता रमागोविन्द सिंह उम्र—50 वर्ष
- 3—शिवेन्द्र सिंह पिता रमागोविन्द सिंह उम्र—46 वर्ष तीनो निवासी  
ग्राम खेखड़ा तहसील देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0
- 4—सविता सिंह पिता रमागोविन्द सिंह उम्र—48 वर्ष साठ बिरहुली  
बुढार जिला शहडोल म0प्र0
- 5—बिता सिंह पिता रमागोविन्द सिंह साठ लखनऊ लखनपुर  
जिला सूरजपुर छ0ग0

आवेदकगण

२५-८-२०१५

बनाम

- 1—अशोक सिंह पिता स्व०, लक्ष्मण सिंह उम्र—55 वर्ष निवासी ग्राम  
देवरा तहसील देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0
- 2—विनोद सिंह पिता हीरालाल सिंह उम्र—50 वर्ष
- 3—नारेन्द्र सिंह पिता हीरालाल सिंह उम्र—47 वर्ष दोनो निवासी  
ग्राम खेखड़ा तहसील देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0
- 4—विमला सिंह पिता लक्ष्मण सिंह साठ शुकुलगाँव जिला सतना  
म0प्र0
- 5—कान्ता सिंह पिता लक्ष्मण सिंह साठ बंजा भैयाथान जिला  
सूरजपुर छ0ग0

7—संतोष सिंह पिता हीरालाल सिंह सा० धरमपुर पो० आ० झोर  
जिला अम्बिकापुर ४०ग०

8—संद्या सिंह पिता हीरालाल सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट बेलहा  
जिला प्रतापगढ़ ८०प्र०

अनावेदकण्णण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान्

उपखण्ड अधिकारी महोदय देवसर जिला

सिंगरौली ८०प्र० के प्रकरण क्रमांक

२४/अ-२७/२०१२-१३ मे पारित आदेश

दिनांक ३०/०६/२०१४।

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० ८०प्र०

भू-राजस्व संहिता १९५९।

मान्यवर,

**प्रकरण के तथ्य-**

1—यह कि आवेदक क्र० १ गजाधर सिंह, आवेदक क्र० २ ता ५ के पिता स्व० रमागोविन्द सिंह, अनावेदक क्र० १ एवं ४ ता ६ के पिता स्व० लक्ष्मण सिंह तथा अनावेदक क्र० २, ३ एवं ७, ८ के पिता स्व० हीरालाल सिंह के विरुद्ध ग्राम खेखड़ा, देवरा, जोबगढ़, बरगवाँ एवं गिधेर तहसील देवसर जिला सीधी वर्तमान जिला सिंगरौली ८०प्र० की भूमियों के सम्बन्ध मे प्रकरण क्र० ७६३, ७६४, ७६५, ७३१/ब-९०(३)/१९७४-७५ मे ८०प्र० कृषि भूमि अधिकतम् जोत सीमा अधिनियम १९६० संशोधित अधिनियम क्र० १३ सन् १९७४ के तहत पारित आदेश दिनांक ३१/०१/१९९६ की इत्तलावी वावत आवेदन पत्र आवेदक क्र० १ ता ३ के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था, जिसके अनुसार अनावेदक क्र० १ ता ३ अपने हिस्से की उक्त ग्रामों की भूमियों का अपने नाम वटवारा मे दर्ज कराना चाहते थे, तथा ४१-४२ एकड़ अतिशेष घोषित भूमि को शासकीय दर्ज कराना चाहते हैं।

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - १-२७१२-टी।५

जिला - सिंगराली

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
(३)८।९	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी.....५०० दैवस्तुर  <b>सिंगराली</b> के प्रकरण क्रमांक १५।४।३।।२०।३ में पारित          आदेश दिनांक ३०।६।१५ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-          राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के          फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित          संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु          उन्नीतर सिंगराली को भेजा जाता है। उभयपक्ष          प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक १८।१०।१९ को          उन्नीतर सिंगराली के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p> 	